

कार्यालय पुलिस आयुक्त, जोधपुर

क्रमांक : पु.आ.-जोध/विशा/विविध/2022/704

दिनांक : 06.05.2022

-:: आदेश ::-

(निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973)

जोधपुर आयुक्तालय क्षेत्र में दिनांक 02.05.2022 व 03.05.2022 को दो पक्षों की ओर से असामाजिक तत्वों द्वारा जालोरी गेट चौराहा पर पत्थरबाजी की घटना कारित करने से कानून-व्यवस्था प्रभावित होने से जोधपुर आयुक्तालय क्षेत्र में लगाये गये कर्फ्यू की अवधि इस कार्यालय के आदेश क्रमांक पु.आ.-जोध/विशा/विविध/2022/701 दिनांक 06.05.2022 के द्वारा जिला पूर्व के थाना उदयमंदिर के आंशिक क्षेत्र राई का बाग, रोड़वेज बस स्टेण्ड व राई का बाग रेलवे स्टेशन को छोड़कर शेष उदयमंदिर थाना क्षेत्र, सदरकोतवाली, सदरबाजार, नागोरी गेट, खाण्डाफलसा का सम्पूर्ण क्षेत्र एवं जिला पश्चिम के थाना प्रतापनगर, प्रतापनगर सदर, देवनगर, सूरसागर, सरदारपुरा के सम्पूर्ण क्षेत्र में दिनांक 08.05.2022 की मध्यरात्रि 12.00 बजे तक बढ़ाई गई थी। कर्फ्यू में दिनांक 07.05.2022 को प्रातः 08.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक (04 घंटे के लिये) छूट प्रदान की जाती है।

1. उक्त छूट अवधि के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर 05 या 05 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे।
2. उक्त छूट अवधि के दौरान फल, सब्जी, डेयरी किराणा व चश्मे (ऑप्टिकल) की दुकानों को छोड़कर अन्य समस्त प्रकार की दुकाने बंद रहेंगी।
3. उक्त छूट अवधि में समस्त प्रकार के वाहनों का आवागमन वर्जित रहेगा।
4. कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र के समस्त लोग छूट अवधि समाप्त होने से पहले ही अपने-अपने घरों में पहुँच जायेंगे।
5. छूट के दौरान कोई भी व्यक्ति वैद्य/अवैद्य अस्त्र-शस्त्र लेकर घरों से बाहर नहीं निकलेंगे।
6. उक्त आदेश दिनांक 07.05.2022 के लिये ही मान्य होगा।

आदेश आज दिनांक 06.05.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुद्रा से जारी किया जाता है।




(राजकुमार चौधरी)
पुलिस उपायुक्त/
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
मुख्यालय एवं यातायात
By Commissioner of Police
Headquarter & Traffic
Jodhpur

06/05/2022

प्रतिलिपि: निम्न को सादर सूचनार्थ -

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह, राजस्थान, जयपुर।
2. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान जयपुर।
3. महानिदेशक पुलिस, इन्टेलीजेन्स, राजस्थान जयपुर।
4. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, प्रशासन, कानून-व्यवस्था, राजस्थान जयपुर।
5. प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. पुलिस आयुक्त, जोधपुर।
7. सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर।
8. जिला कलक्टर, जोधपुर।
9. पुलिस उपायुक्त पूर्व/पश्चिम/अपराध, जोधपुर आयुक्तालय ।
10. अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, पूर्व/पश्चिम/यातायात जोधपुर आयुक्तालय।
11. समस्त सहायक पुलिस आयुक्तगण, जोधपुर आयुक्तालय को पालनार्थ।
12. समस्त थानाधिकारीगण, आयुक्तालय जोधपुर को पालनार्थ।
13. प्रभारी, पुलिस नियन्त्रण कक्ष, जोधपुर आयुक्तालय।
14. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर को स्थानीय समाचार पत्रों /मीडिया चैनल में प्रचार-प्रसार हेतु।
15. नोटिस बोर्ड, कार्यालय जोधपुर आयुक्तालय।



पुलिस उपायुक्त/
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
मुख्यालय एवं यातायात
जोधपुर

Dy Commissioner of Police,
Headquarter & Traffic
Jodhpur